न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 94/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/353

अनवान्

1. श्री शोभालाल पिता दामा डांगी निवासी धोलीमगरी तहसील घासा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री दामा पिता रूपा डांगी निवासी धोलीमगरी तहसील घासा।
2. श्री हीरालाल पिता दामा डांगी निवासी धोलीमगरी तहसील घासा।
3. पुष्पा पुत्री दामा डांगी निवासी धोलीमगरी तहसील घासा।
4. पटवारी, पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील घासा।
5. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय घासा तहसील घासा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तहसील घासा।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 28.08.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा धोलीमगरी पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील घासा के परिशिष्ट 1 में वर्णित आराजी नम्बर 1374, 1464, 1587, 238, 257, 454 किता 6 कुल रकबा 0.8336 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा व शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 2 में वर्णित आराजी नम्बर 234, 236 किता 2 कुल रकबा 0.1699 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/6 हिस्सा व शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है। परिशिष्ट 3 में वर्णित आराजी नम्बर 1304, 1305, 1306 किता 3 कुल रकबा 0.2346 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/24 हिस्सा व शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 4 में वर्णित आराजी नम्बर 635 रकबा 0.0567 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/18 हिस्सा व शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 5 में वर्णित आराजी नम्बर 434 रकबा 0.4128 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/36 हिस्सा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:29:10 IST
Reason: SelfAttested

शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 6 में वर्णित आराजी नम्बर 345 रकबा 3.3508 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा व शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 7 में वर्णित आराजी नम्बर 628 रकबा 0.0846 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा व शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 8 में वर्णित आराजी नम्बर 259 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा व शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 9 में वर्णित आराजी नम्बर 408 रकबा 0.4047 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/9 हिस्सा व शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 10 में वर्णित आराजी नम्बर 1193, 1194, 1195, 1196, 1198, 1199 किता 6 कुल रकबा 1.8211 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/18 हिस्सा व शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। परिशिष्ट 11 में वर्णित आराजी नम्बर 663 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/17 हिस्सा व शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं।

2. यह कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के खानदान का सजरा निम्न है :–

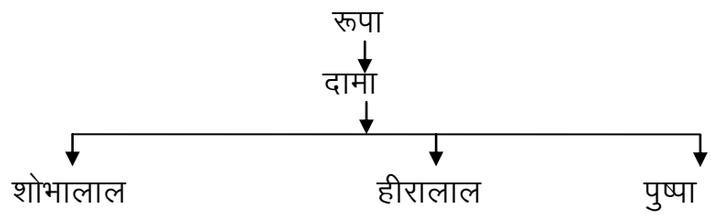

उक्त सजरे में रूपा की मृत्यु हो चुकी हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 3 की मौरूसी जायदाद होकर प्रार्थी के मौरूस रूपा के समय से चली आ रही है तथा उक्त आराजीयात में प्रार्थी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक व अधिकार हैं। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के पिता दामा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट 8 व 9 में अंकित आराजीयात में प्रार्थी का 1/36 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/36, विपक्षी संख्या 2 का 1/36 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/36 हिस्सा है व परिशिष्ट 1, 6 व 7 में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा है व परिशिष्ट 2 में अंकित आराजीयात में प्रार्थी का 1/24 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा हैं। परिशिष्ट 3 में प्रार्थी का 1/96 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/96 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/96

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:29:10 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/96 हिस्सा है। परिशिष्ट 4 व 10 में प्रार्थी का 1/72 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/72 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/72 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/72 हिस्सा है। परिशिष्ट 5 मूं प्रार्थी का 1/144 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/144 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/144 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/144 हिस्सा हैं। परिशिष्ट 11 में प्रार्थी का 1/68 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/68 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/68 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/68 हिस्सा है व इसी हिस्से अनुसार प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 3 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम अपने हिस्से से अधिक भूमि दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 के मन में लोभ व लालच पैदा हो गया व विपक्षी संख्या 1 लोभ व लालच से वशीभूत होकर अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय, स्थानान्तरण करने पर उतारू है व प्रार्थी को अपने हिस्से से बेदखल करना चाहता है इसलिए प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है इसलिए घोषणा का वाद आप न्यायालय में पेश कर दिया हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अपने हिस्से से अधिक भूमि दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1, विपक्षी संख्या 2 व 3 के सिखावें में आकर अपने हिस्से से अधिक भूमि को बिना बंटवाडा कराए विक्रय, स्थानान्तरण करने पर उतारू है तथा प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग में आए दिन बाधा उत्पन्न करने लग गया है व अपने हिस्से से अधिक भूमि को विपक्षी संख्या 1 विक्रय हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करना चाहता है इसलिए विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराना आवश्यक हो गया है कि विपक्षी संख्या 1, विपक्षी संख्या 2 व 3 से मिलीभगत कर अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करे, न खुर्द बुर्द करे, प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करने देवे, इसमें कोई रूकावट पैदा नहीं करे, प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात से बेदखल नहीं करे, उक्त कार्य न तो विपक्षी संख्या 1 से 3 स्वयं करे, न अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट इत्यादि से करावे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

5. यह कि प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगणों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगणों को कोई नुकसान व क्षति नहीं होगी बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थी को भारी नुकसान व क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नकदी में किया जाना सम्भव नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:29:10 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 25.06.2024 को पैदा हुआ जब विपक्षी संख्या 1, विपक्षी संख्या 2 व 3 से मिलकर अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय, स्थानान्तरण करने की धमकी दी व प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात से कब्जा खाली करने की धमकी दी व प्रार्थी द्वारा कब्जा नहीं खाली करने पर प्रार्थी से लडाई झगडा करने पर उतारू हुआ तब पैदा हुआ व पैदा होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षी के विरूद्व निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1, विपक्षी संख्या 2 व 3 से मिलीभगत कर अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करे, न खुर्द बुर्द करे, प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करने देवे, इसमें कोई रूकावट पैदा नहीं करे, प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजीयात से बेदखल नहीं करे, उक्त कार्य न तो विपक्षी संख्या 1 से 3 स्वयं करे, न अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट इत्यादि से करावें, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
8. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की मौरूसी सम्पति है तथा मौरूसी सम्पति में हमारा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता विपक्षी संख्या 1 दामा के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को मूल पुरूष प्रार्थी के दादा रूपा के समय से चली आना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। इस विवेचन के आधार पर पैतृक सम्पति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:29:10 IST
Reason: SelfAttested

घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। यदि विपक्षी संख्या 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा धोलीमगरी पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 280 पर दर्ज आराजी नम्बर 1374, 1464, 1587, 238, 257, 454 किता 6 कुल रकबा 0.8336 हेक्टेयर, खाता संख्या 279 पर दर्ज आराजी नम्बर 234, 236 किता 2 कुल रकबा 0.1699 हेक्टेयर, खाता संख्या 359 पर दर्ज आराजी नम्बर 1304, 1305, 1306 किता 3 कुल रकबा 0.2346 हेक्टेयर, खाता संख्या 332 पर दर्ज आराजी नम्बर 635 राकबा 0.0567 हेक्टेयर, खाता संख्या 281 पर दर्ज आराजी नम्बर 434 रकबा 0.4128 हेक्टेयर, खाता संख्या 282 पर दर्ज आराजी नम्बर 345 रकबा 3.3508 हेक्टेयर, खाता संख्या 277 पर दर्ज आराजी नम्बर 628 रकबा 0.0486 हेक्टेयर, खाता संख्या 278 पर दर्ज आराजी नम्बर 259 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, खाता संख्या 310 पर दर्ज आराजी नम्बर 408 रकबा 0.4047 हेक्टेयर, खाता संख्या 311 पर दर्ज आराजी नम्बर 1193, 1194, 1195, 1196, 1198, 1199 किता 6 कुल रकबा 1.8211 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 323 पर दर्ज आराजी नम्बर 663 पर दर्ज आराजी नम्बर 0.0324 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि भूमि वर्तमान में प्रार्थी के पिता विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:29:10 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 दामा के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति होकर प्रार्थी का जन्म से ही हक निहित है। भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 3 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी। प्रकरण में दिनांक 12.09.2024 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। विपक्षीगण द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया है। इससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय की नजीर **RLW 2005(2) page 219,** में **"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 – अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना– अपने पिता के जीवन काल में पिता की पैतृक सम्पति में हिन्दू पुत्र का अधिकार– पुत्र ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया – भूमि हस्तान्तरण की आशंका – अस्थाई निषेधाज्ञा चाही– अभिनिर्धारित – अपने पिता की पैतृक सम्पति में एक हिन्दू पुत्र का अधिकार होता है और वह उसका विभाजन करा सकता है– अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषय वस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति में बनाये रखना है और आगे किसी संभावित क्षति से सुरक्षा करना है।"** माननीय न्यायालय की उक्त नजीर इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौजा धोलीमगरी पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 280 पर दर्ज आराजी नम्बर 1374, 1464, 1587, 238, 257, 454 किता 6 कुल रकबा 0.8336 हेक्टेयर, खाता संख्या 279 पर दर्ज आराजी नम्बर 234, 236

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:29:10 IST
Reason: SelfAttested

किता 2 कुल रकबा 0.1699 हेक्टेयर, खाता संख्या 359 पर दर्ज आराजी नम्बर 1304, 1305, 1306 किता 3 कुल रकबा 0.2346 हेक्टेयर, खाता संख्या 332 पर दर्ज आराजी नम्बर 635 राकबा 0.0567 हेक्टेयर, खाता संख्या 281 पर दर्ज आराजी नम्बर 434 रकबा 0.4128 हेक्टेयर, खाता संख्या 282 पर दर्ज आराजी नम्बर 345 रकबा 3.3508 हेक्टेयर, खाता संख्या 277 पर दर्ज आराजी नम्बर 628 रकबा 0.0486 हेक्टेयर, खाता संख्या 278 पर दर्ज आराजी नम्बर 259 रकबा 0.0324 हेक्टेयर, खाता संख्या 310 पर दर्ज आराजी नम्बर 408 रकबा 0.4047 हेक्टेयर, खाता संख्या 311 पर दर्ज आराजी नम्बर 1193, 1194, 1195, 1196, 1198, 1199 किता 6 कुल रकबा 1.8211 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 323 पर दर्ज आराजी नम्बर 663 पर दर्ज आराजी नम्बर 0.0324 हेक्टेयर भूमि के मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:29:10 IST
Reason: SelfAttested